# राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद
(भारत सरकार का एक विधिक संस्थान)
उत्तर क्षेत्रीय समिति

गुरुर्गुरुतमो धाम
NCTE

# NATIONAL COUNCIL FOR TEACHER EDUCATION
(A STATUTORY BODY OF THE GOVERNMENT OF INDIA)
Northern Regional Committee


रजिस्टर्ड

दिनांक : 17.7.01

राअशिप/उक्षेस/फ-3/पीबी-66/बीएड/2001/ 16732

**भारत के राजपत्र भाग-3, खण्ड-4 में प्रकाशनार्थ**

## आदेश

**श्री गुरु नानक देव एजूकेशन सोसाइटी, 601/II, टंकी वाली गली, दशमेश नगर, मोगा-142001, पंजाब** ने **लाला लाजपत राय मेमोरियल कॉलेज ऑफ एजूकेशन, धुडीकी, मोगा-152023, पंजाब** में बीएड पाठ्यक्रम सत्र 2001-2002 से प्रारंभ करने की मान्यता हेतु आवेदन प्रेषित किया था जो समिति कार्यालय में दिनांक 29.08.2000 को प्राप्त हुआ। संस्था का दिनांक 06.03.2001 को मूल्यांकन कराया गया था तथा संस्था के प्रस्तावित बीएड पाठ्यक्रम की मान्यता पर विचार हेतु संस्था की मूल पत्रावली, मूल्यांकन प्रतिवेदन तथा अन्य सम्बन्धित दस्तावेज आदि उत्तर क्षेत्रीय समिति की दिनांक 10-11 मई, 2001 को सम्पन्न हुई 34 वीं बैठक में प्रस्तुत किए गए थे। उत्तर क्षेत्रीय समिति ने प्रकरण पर गहराई से विचार कर पाया कि संस्था में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा बीएड पाठ्यक्रम के लिए निर्धारित मानदंडानुसार निम्नांकित कमियां हैं तथा समिति ने निर्णय लिया कि संस्था को इन कमियों के संदर्भ में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम 1993 की धारा 14 (3)(बी) के अन्तर्गत दिनांक 20.6.2001 तक लिखित अभ्यावेदन प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान कर दिया जाए।

1. परिषद् मानदंडानुसार शैक्षिक, तकनीकी एवं प्रशासनिक स्टाफ की कमी है।
2. चयन समिति के गठन की कमी है।
3. परिषद् मानदंडानुसार भूमि एवं भवन के अन्तर्गत कक्षा-कक्ष, हॉल, प्रयोगशालाएं, प्राचार्य कक्ष, स्टाफ रूम, लाईब्रेरी, स्टोर रूम, कार्यालय कक्ष, कॉमन रूम, बहुउद्देशीय कक्ष, सन्वेनट रूम आदि सभी की कमी है।
4. पुस्तकालय में परिषद् मानदंडानुसार 3,000 पुस्तकें एवं 5 शैक्षिक जरनल की कमी है।
5. शैक्षिक तकनीकी, विज्ञान एवं मनोविज्ञान प्रयोगशाला हेतु उपकरणों की कमी है।
6. अक्षय निधि में 5.00 लाख रुपये तथा सुरक्षित निधि में 3.00 लाख रुपये की कमी है।
7. भूमि के वैधानिक दस्तावेज की कमी है। संस्था के नाम भूमि नहीं होने की कमी है।

समिति द्वारा लिए गए उपरोक्त निर्णयानुसार संस्था को पत्र क्रमांक राअशिप/उक्षेस/फ-3/पीबी-66/2001/935 दिनांक 21.5.2001 लिखा गया था जिसका उत्तर संस्था ने प्रेषित नहीं किया। परिषद अधिनियम एवं इसके अन्तर्गत जारी विनियमों/मानदंडों की प्रति तथा संस्था की मूल पत्रावली, मूल्यांकन प्रतिवेदन, संस्था को प्रेषित पत्र, तथा अन्य सम्बन्धित दस्तावेज उत्तर क्षेत्रीय समिति की दिनांक 05.07.2001 को सम्पन्न हुई 36 वीं बैठक में रखे गए। समिति ने प्रकरण पर गहराई से विचार कर निर्णय लिया कि **लाला लाजपत राय मेमोरियल कॉलेज ऑफ एजूकेशन, धुडीकी, मोगा-152023, पंजाब** के प्रस्तावित बीएड पाठ्यक्रम की मान्यता को निम्नांकित कमियों के कारण तुरन्त प्रभाव से अस्वीकार कर दिया जाए।

1. परिषद् मानदंडानुसार शैक्षिक, तकनीकी एवं प्रशासनिक स्टाफ की कमी है।
2. चयन समिति के गठन की कमी है।
3. परिषद् मानदंडानुसार भूमि एवं भवन के अन्तर्गत कक्षा-कक्ष, हॉल, प्रयोगशालाएं, प्राचार्य कक्ष, स्टाफ रूम, लाईब्रेरी, स्टोर रूम, कार्यालय कक्ष, कॉमन रूम, बहुउद्देशीय कक्ष, सन्वेनट रूम आदि सभी की कमी है।
4. पुस्तकालय में परिषद् मानदंडानुसार 3,000 पुस्तकें एवं 5 शैक्षिक जरनल की कमी है।
5. शैक्षिक तकनीकी, विज्ञान एवं मनोविज्ञान प्रयोगशाला हेतु उपकरणों की कमी है।
6. अक्षय निधि में 5.00 लाख रुपये तथा सुरक्षित निधि में 3.00 लाख रुपये की कमी है।
7. भूमि के वैधानिक दस्तावेज की कमी है। संस्था के नाम भूमि नहीं होने की कमी है।



C:\My Documents\Bansal.doc(C:\My Documents\Bansal.doc/Subhash Chand/


कार्यालय : ए-46, शान्ति पथ, तिलक नगर, जयपुर-302004
कार्यक्षेत्र : उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चण्डीगढ़, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान
Phone फोन : 0141-623501 Fax फैक्स : 91-141-620116

Office : A-46, Shanti Path, Tilak Nagar, Jaipur-302 004
Jurisdiction : U.P., Delhi, Haryana, Punjab, Chandigarh, H.P., Rajasthan
E-Mail : ncte@raj.nic.in Website : http://www.ncte-in.org